प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / बी0सी0पी0एम0 / 2013–14 / 64 / 8066-75 दिनांकः 25.11.2015

विषयः Block Community Process Manager के कार्य / उत्तरदायित्वों एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

सामुदायिक प्रक्रियाओं से समबन्धित कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण एवं आशा योजना से सम्बन्धित कार्यक्रमों विशेषकर आशा प्रशिक्षणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं आशा तथा आशा संगिनी के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक का चयन किया गया है। इनके कार्य एवं दायित्वों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कम्यूनिटी प्रोसेस की समस्त गतिविधियों को सुगमतापूर्वक संचालित किया जा सके।

बी0सी0पी0एम0 के कार्य

- बी0सी0पी0एम0 ब्लाक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / अधीक्षक के नेतृत्व में कम्यूनिटी प्रोसेस कार्यकमों के नोडल अधिकारी होगें।
- इसके अन्तर्गत आशा योजना, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, अन्टाइड फंड, रोगी कल्याण समिति आदि कार्यक्रमों के प्रभावी नियोजन क्रियान्वयन, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं अभिलेखीकरण के लिये उत्तरदायी होगें।
- ब्लॉक स्तर पर अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय का कार्य करेगें।

मुख्य जिम्मेदारियॉ

- विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करना जैसे आशा का चयन, आशा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान, आशा की शिकायतों का निवारण, आशा किट की आपूर्ति व रिप्लेनिशमेण्ट आदि।
- आशा संगिनी वार आशा डाटाबेस को समय–समय पर अद्युनान्त करना।
- ब्लॉक मुख्यालय पर आशा संगिनी की मासिक बैठक आयोजित करना।
- आशाओं की मासिक क्लस्टर बैठक एवं आशा संगिनियों की मासिक बैठक आयोजित करना।
- आशाओं की कार्यक्षमता के मूल्यांकन हेतु आशा संगिनियों द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर प्रगति रिपोर्ट का संकलन करना।
- आशा व आशा संगिनी की कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रतिमाह कम से कम 12 क्षेत्र भ्रमण करना।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के गठन एवं उसके कार्यों को सुनिश्चित कराने में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों एवं असम्बद्ध धनराशि (Untied Fund) का व्यय का अनुश्रवण करना, समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण में सहयोग करना। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के डाटा बेस तैयार करना एवं उसे अद्युनांत करना।
- सामुदायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य कार्ययोजना बनाने में सहयोग करना।
- उप केन्द्र स्तरीय आशा, ऑगनबाड़ी एवं ए0एन0एम0 (AAA Platform) की बैठकों की कार्ययोजना तैयार करना एवं बैठकों का अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धी कार्यो का संपादन करना।
- रोगी कल्याण समिति की बैठकों का नियमित आयोजन में अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।

Scanned by CamScanner

- निष्क्रिय आशाओं का चिन्हीकरण एवं मूल्यांकन कर सुधार हेतु योजना बनाना।
- सामुदायिक प्रक्रिया की विभिन्न गतिविधियों के कुशल क्रियान्वयन एवं क्षेत्र स्तर पर आशाओं से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों, बी0पी0एम0यू0, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक एवं ब्लॉक स्तरीय सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।
- आशा शिकायत निवारण प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। आशाओ की समस्याओं के समाधान में अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सहयोग प्रदान करना। आशाओं की ब्लाक स्तरीय शिकायत निवारण समिति की नियमित बैठक करवाना एवं तदानुसार रिपोर्ट प्रेषित करना।
- आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि का ससमय भुगतान सुनिश्चित कराना।
- आशा सम्मेलन के आयोजन में जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को सहयोग प्रदान करना।
- आशा सम्मेलन हेतु सर्वश्रेष्ठ आशाओं का चिन्हीकरण में अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
- समुदाय आधारित निगरानी प्रक्रिया हेतु चयनित ब्लॉकों में समुदाय आधारित निगरानी प्रक्रिया के क्रियान्वयन में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सहयोग प्रदान करना।
- ब्लाक स्तर पर कम्यूनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
- अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवंटित अन्य कार्यों को संपादित करना।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण : Block Community Process Manager के द्वारा उपरोक्त कार्यों के सम्पादन एवं कम्युनिटी प्रोसेस के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों, आशा एवं आशा संगिनियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु रू0 3600 प्रतिमाह की दर से धनराशि अवमुक्त की चुकी है। यात्रा एवं अन्य भत्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा पर कार्यरत के तृतीय श्रेणी के कर्मियों हेतु अनुमन्यता के आधार पर वास्तविक व्यय के अनुसार देय होगा जोकि निम्नानुसार है।

क्र.स.		संविदा पर प्रबन्धन इकाई के तृतीय श्रेणी कर्मी
1	रेल यात्रा हेतु अनुमन्यता	ए0सी0 तृतीय श्रेणी/ए0सी0 चेयर कार (पताका क)
2	सड़क यात्रा हेतु अनुमन्यता	बस/शेयर टैक्सी (पताका क) मोटर साईकिल/स्कूटर से की गयी यात्रा के लिए रू0 5 प्रति किलोमीटर। (पताका ख) अन्य वाहनों/पैदल की गयी यात्रा के लिए रू0 1.80 प्रति किलोमीटर। (पताका ख)
3	परडियम	रू0 225 प्रतिदिन (पताका क)
4	ठहरने की व्यवस्था हेतु अधिकतम अनुमन्यता	रू0 300 प्रतिदिन (पताका क)

नोट–किसी भी स्थान पर कम से कम 8 घण्टा ठहरने पर एक दिन गिना जायेगा तथा चार अथवा अधिक धण्टे होने पर आधे दिन का मानदेय देय होगा।

मुख्यालय से ट्रेन, बस, टैक्सी के छूटने के निर्धारित समय से यात्रा आरम्भ मानी जायेगी तथा मुख्यालय पर वापस आने के वास्तविक समय पर समाप्त मानी जायेगी।

रेल/बस/शेयर टेक्सी द्वारा यात्रा करने पर यात्रा भत्ता हेतु टिकट प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार ठहरने की व्यवस्था हेतु बिल प्रस्तुत करनी होगी।

Scanned by CamScanner

इस हेतु निम्न निर्धारित प्रारूप पर भ्रमण आख्या के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

बी0सी0पी0एम0 द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दावा प्रपत्र					
क्र.स.	भ्रमण का दिनांक	भ्रमण का स्थान	भ्रमण का उद्देश्य	राशि	टिप्पणीं
1					
2					
योग					

बी0सी0पी0एम0 का हस्ताक्षर

अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

भवदीय

20/11/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांकः एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./बी0सी0पी0एम0/2013–14/64/ तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला लेखा प्रबन्धक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिये गये उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराना तथा व्यय विवरण राज्य स्तर पर समय से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

Scanned by CamScanner